न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर(हनुमानगढ़)

(पीठासीन अधिकारी श्री नारायण सिंह चारण आर0ए0एस)

निगरानी सं0 07/2019

1. ताराचन्द पुत्र श्री डूंगरराम जाति सुथौड़ निवासी दीपलाना तहसील नोहर, हनुमानगढ़।

— प्रार्थी

बनाम्

1.अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना समिति पंचायत समिति नोहर तहसील नोहर, हनुमानगढ़।
2.ग्राम पंचायत दीपलाना जरिये सरपंच ग्राम पंचायत दीपलाना तहसील नोहर, हनुमानगढ़।
3.हंसराज पुत्र मनफुल जाति खाति निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4.दलीप कुमार पुत्र कंवर सैन जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर, हनुमानगढ़।
5.ओमप्रकाश पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर, हनुमानगढ़।
6.महेन्द्र सिंह पुत्र बेगराज जाति स्वामी निवासी दीपलाना तहसील नोहर, हनुमानगढ़।

—अप्रार्थीगण

निगरानी विरूद्ध निर्णय दिनांक 09.07.2019 प्रकरण सख्यां 7/19 बअनवानी हंसराज आदि बनाम ताराचन्द आदि बअदालत अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना समिति पंचायत समिति नोहर तहसील नोहर जिसकी रूह से प्रार्थी का पटटा खारिज किया गया को अपास्त किये जाने हेतु।

उपस्थितः— श्री राजपाल झोरड़, अधिवक्ता प्रार्थी
श्री हरिसिंह सिहाग, अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांकः— 05.02.2020

प्रार्थीगण ने बअदालत अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना समिति पंचायत समिति नोहर के निर्णय दिनांक 09.07.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी पेश कर निवेदन किया कि —

1. अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 6 ने प्रशासन एवं स्थापना समिति की बैठक में अपील प्रस्तुत करते हुए ग्राम पंचायत दीपलाना द्वारा प्रत्यर्थी संख्या—1/प्रार्थी के पक्ष में जारी पटटा खारिज करने के सम्बन्ध में कथन किये कि गांव दीपलाना में एक बहुत पुराना जोहड़ है

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिसमें गांव के पशु पानी पीते है तथा गांव व बरसात का पानी उक्त जोहड़ में आता है। ग्रामवासी लगभग 60 वर्षो से उक्त जोहड़ का उपयोग उपभोग करते आ रहें है। दिनांक 18.02.2019 को प्रत्यर्थी संख्या–1 ने कहा है कि उसके पक्ष में उक्त जगह का ग्राम पंचायत का पटटा जारीशुद्वा है इसलिए वह उक्त जगह पर मिटटी भर्ती कर निर्माण कार्य करेंगा व उसने मौका पर एक पटटा की प्रति दी। दिनांक 18.02.2019 को अपीलाधीन पटटा की जानकारी होने से अपील अन्दर मियाद होना बताते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम व धारा 91 सी.पी.सी. के अन्तर्गत आवेदन पत्रों के साथ प्रत्यर्थी संख्या–1 के पक्ष में जारी पटटा खारिज करने हेतु अपीलार्थीगण की ओर से अपील प्रस्तुत की गई।

2. राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 61 के अन्तर्गत अपील की जाकर अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये व विवादित स्थल का मौका निरीक्षण कमेठी से मौका मुआवना करवाया गया।

3. प्रार्थी/प्रत्यर्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर कथन किया कि गाव दीपलाना में कोई सार्वजनिक जोहड़ नहीं है व ना ही उक्त कथित सार्वजनिक जोहड़ का उपयोग उपभोग किया जाता रहा है। प्रत्यर्थी संख्या–1/प्रार्थी ने यह भी कथन किया कि पूर्व में गलिया नीची थी जो बाद में इन्टरलोक गली का निर्माण होने से गलियां उंची हो गई व आस पास की गलिया नीची होने के कारण वहां पानी का भराव होने लग गया। उक्त जगह सार्वजनिक जोहड़ की नहीं है। जोहड़ में पानी भराई के लिए कोई बारी बंधी हुई नहीं है। यह भी कथन किया की अपीलार्थीगण की ओर से जो बारी बंधी की पर्चीया प्रस्तुत की गई है वो चक 23, 24 डी.पी.एन. की है। उक्त पर्चीयों मे दर्शाई गई बारी की काश्तकारों की साधारण सभा में में बोली की जाती है व प्राप्त राशि चक 23, 24 डी.पी.एन. के खालों के रख रखाव के काम में आती है। जोहड़ में कभी पानी की भरपाई नहीं की गई। यह भी कथन किया कि गांव दीपलाना भाखड़ा क्षेत्र में आता है व किसी भाखड़ा क्षेत्र में कोई सार्वजनिक जोहड़ नहीं होते है। अपीलार्थीगण का गांव दीपलाना में बहुत पुराना जोहड़ होने बाबत कथन निराधार है। इसके अलावा प्रत्यर्थी संख्या–1/प्रार्थी ने यह भी कथन किया कि उसका पटटा ग्राम पंचायत दीपलाना द्वारा विधिक प्रकिया अपनाई जाकर नियमानुसार जारी किया गया है। उसके पिता डूंगरराम का ग्राम पंचायत दीपलाना में 80 वर्षो से अधिक समय से कब्जा शुद्धा भूखण्ड है एवं प्रत्यर्थी संख्या–1 के पिता ने कब्जा के समय से ही अपने

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उक्त भूखण्ड पर चारदीवारी व मकानात का निर्माण कर अपने परिवार सहित रिहायशा कर रखी थी एवं आज से 40 वर्ष पूर्व उक्त भूखण्ड घरू बंटवारा में प्रत्यर्थी संख्या–1/प्रार्थी के हिस्से में आया तभी से प्रार्थी उक्त भूखण्ड का लगातार उपयोग उपभोग करता आ रहा है। और ग्राम पंचायत दीपलाना द्वारा बाद जांच प्रत्यर्थी स0 1/प्रार्थी का पुराना कब्जा के आधार पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 के नियम 157 के अन्तर्गत प्रशासन आपके द्वारा अभियान में दिनांक 13.12.2004 को पुराने घरों का विनियमतीकरण का 100 गुणा 75 फुट क्षेत्र का नियमानुसार पटटा जारी किया गया था। पटटा नियमानुसार आबादी क्षेत्र में जारी किया गया है। उक्त जगह सार्वजनिक जोहड़ की नहीं है बल्कि राजस्व रिकार्ड के अनुसार आबादी भूमि है। अपीलार्थीगण को उक्त भूखण्ड के पट्टा का ज्ञान बहुत पहले से ही है।

4. अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी ठोस दस्तावेजी साक्ष्यों के प्रार्थी के पक्ष में पट्टा दिनांक 13.12.2004 को 100 गुणा 75 फुट को कतई गलत एवं विधि विरूद्ध आधारों पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.07.2019 पारित करते हुए खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.07.2019 से व्यथित होकर प्रार्थी ने निम्नलिखित आधार पर निगरानी पेश ही है:–

(क) यह कि निगरानीधीन निर्णय दिनांक 09.07.2019 प्रकरण संख्या 07/2019 बअनवानी हंसराज आदि बनाम ताराचन्द आदि बअदालत अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर तहसील नोहर विधि की अवहेलाना में पारित होने से अपास्तनीय है।

(ख) अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी संख्या 3 ता 6 द्वारा पट्टा आदेश की अपील करनी चाहिए थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त कानूनी बिन्दु को नजर अन्दाज कर विधि की स्पष्ट अवहेलना में निगरानीधीन निर्णय पारित किया है, जा निरस्त किये जाने योग्य है।

(ग) अप्रार्थी संख्या 3 ता 6 व्यथित पक्षकार नहीं थे व उन्हें अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं था, उन्हें ग्राम पंचायत दीपलाना द्वारा पैरवी करने हेतु अधिकृत नहीं किया गया था। उक्त आशयों का कोई दस्तावेज पत्रावली पर अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 6 ने अधिकार पत्र अधिकृत पत्र प्रस्तुत नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त कानूनी बिन्दु की जांच किये बिना गैर कानूनी तरीके से निगरानीधीन निर्णय पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

(घ) अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 6 ने विवादित स्थल को जोहड़ बताकर अपील प्रस्तुत की थी परन्तु विवादित स्थल आबादी भूमि है व पट्टा जारी करते समय राज्य सरकार के कर्मचारी ग्राम सचिव के हस्ताक्षर है तथा ग्रामीण विकास अधिकारी के हस्ताक्षर होने से यह उपधारणा की जानी आवश्यक है कि पट्टा आबादी भूमि का ही है। इसके अतिरिक्त पटवारी हल्का से अधीनस्थ न्यायालय ने कोई पैमाईश नहीं करवाई व केवल पटवारी ही यह पैमाईश से सिद्ध कर सकता था कि भूमि आबादी है या जोहड़। अधीनस्थ न्यायालय ने जिन व्यक्तियों से मौका स्थल का परीक्षण करवाया उन्होंने किस मरगज से जरीब चलाई, कहां तक आबादी का निशान है स्पष्ट नहीं किया इसके अतिरिक्त गोचर बावड़ी व जोहड़ क्षेत्र के विषय में सुनवाई का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल विजिलेंस कमेटी के आधार पर निगरानीधीन निर्णय दिया है जो कोई कानूनी वैधता नहीं रखती इसलिये निगरानीधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 6 द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट किया जा सकें कि उक्त क्षेत्र जोहड़ अथवा जोहड़ पायतन की भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मौखिक तथ्यों के आधार पर उक्त निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है।

(ड़) अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 6 द्वारा जोहड़ पायतन की भूमि का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया व ना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी, तहसीलदार अथवा गिरदावर से कोई रिपोर्ट मंगवाई गई। प्रार्थी के भूखण्ड के चारों तरफ प्रार्थी द्वारा लगभग 30 वृक्ष नीम, बैरी, देशी कीकर आदि के लगाये हुए है जो काफी बड़े हो चुके हैं। प्रार्थी के उक्त भूखण्ड पर पुराना एवं निरन्तर कब्जा उक्त वृक्षों से ही प्रतित हो रहा था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसी कोई मौका की रिपोर्ट नहीं मंगवाई तथा प्रार्थीगण के मौखिक कथनों के आधार पर निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

(च) अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम पंचायत के रिकार्ड ही तलब नहीं किय तथा पंचायत का पुराना पट्टा का रिकार्ड कहां है, इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय ने कोई साक्ष्य नहीं ली है ना ही ग्राम सचिव के इस सम्बन्ध में कोई बयान लिये हैं। पंचायत का रिकार्ड तलब करवाने में अधीनस्थ न्यायालय की कोई चेष्टा/रूची नहीं रही है व बिना रिकार्ड तलब किये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एकपक्षीय, गैरकानूनी व विधि की अवहेलना में है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(ड) अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 6 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के साथ मिलीभगती कर राजनैतिक द्वेषता से प्रेरित होकर प्रार्थी के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त गलत कार्यवाही पेश की गई है। जबकि प्रार्थी के भूखण्ड के इर्द गिर्द चारों तरफ मकानात बने हुए है जिसमें स्वयं अप्रार्थी हंसराज एवं उसके भाईयों सोहनलाल व होशियारीलाल के मकान भी बने हुए है लेकिन केवल मात्र प्रार्थी के विरूद्ध उक्त कार्यवाही किया जाने से ही यह साबित है कि उक्त प्रकरण राजनैतिक द्वेषता के वशीभूत करवाया गया है।

अतः निगरानी पेश कर निवेदन है कि निगरानी प्रार्थी स्वीकार फरमाई जाकर निगरानीधीन निर्णय दिनांक 09.07.2019 प्रकरण संख्या 7/2019 बअनवानी हंसराज आदि बनाम ताराचन्द आदि बअदालत प्रशासन एवं स्थाई स्थापना समिति पंचायत नोहर को अपास्त फरमाया जावें।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण एवं रिकार्ड की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त हुआ।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी के तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की अप्रार्थी संख्या 3 से 6 ने अपील पेश की, कि ताराचंद को जो पट्टा जारी किया गया है वह जोहड़ पायतन का है। दिनांक 13.12.2004 प्रशासन गांव के संग अभियान में यह पट्टा जारी हुआ था। मजमे आम में जारी हुआ था, तब से में काबिज हूं। भाखड़ा केनाल एरिया में जोहड़ पायतन की भूमि नहीं है तारांचद व हंसराज के पट्टे पास है, हमारा पट्टा जोहड़ पायतन में आ रहा है और हंसराज का नहीं यह कैसे हो सकता है। यह राजनैतिक की वहज से है। कोई रिकार्ड, दस्तावेज इस भूमि को जोहड़ पायतन साबित करें नही है और ना ही पेश किया गया है। आबादी का नक्शा राजस्व न्यायालयों से प्राप्त किया गया है इनमें कहीं जोहड़ पायतन दर्ज नहीं है हमारी निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त करें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में बताया की इनको 2004 में नियम 157 के तहत पट्टा जारी किया गया है। अतः विनियमितकरण किया गया है खाली जगह है अगर मकान नहीं है तो नियम 157 के तहत पट्टा जारी नहीं होगा। दिनांक 06.03.2019 को ये इस भूमि पर कब्जा करने लगे तब शिकायत हुई की ये मिट्टी हटा रहें है व जमीन खोदने व निर्माण करनें पर रोकना चाहा। पंचायत अधिनियम पर सीपीसी लागू नहीं होगी। ये प्रशासन स्थापना समिति को अधीनस्थ न्यायालय कह रहे है Trial Count भी कहते है जबकि यह Count नहीं है। अतिरिक्त जिला कलक्टर भी राज्य सरकार की शक्तियों का

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रयोग कर रहें है जोहड़ वह स्थान है जहां गांव का या बारिश का पानी आकर इकट्ठा होता है उसे जोहड़ कहा जाता है। ग्राम पंचायत का नक्शा पेश किया है जिनके गांव के मध्य में पानी जोहड़ दर्शाया गया है। सरपंच ने भी लिख कर दिया है कि यहां जोहड़ है इसका पट्टा विनियमितिकरण का है, खाली जमीन का नहीं है। ये खाली जमीन पर इसके आधार पर कैसे कब्जा कर सकता है। अतः निगरानी खारिज फरमायी जावें।

अधिवक्ता प्रार्थी ने पुनः निवेदन कर बहस में बताया की जोहड़ की जमीन कह कर पट्टे खारिज किय है इसका कोई आधार नहीं है। 1947 से पूर्व जो जोहड़ थे उनकी स्थिति बहाल करने का निर्णय इस पर लागू नहीं होता है। हमने सिविल कोर्ट में कोई केस नहीं किया है। किसी की खाली जमीन पर पानी भर जाने से वह जोहड़ थोड़े ही हो जायेगा। अतः निगरानी स्वीकार फरमायी जावें।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो की फोटोकोपी का अवलोकन किया निगरानीकर्ता को जारी पटटे को पंचायत समिति नोहर की प्रशासन एवं स्थापना समिति द्वारा दिनांक 09.07.2019 को इस आधार पर खारिज कर दिया की अपीलाधीन पटटा बहुत पुराने सार्वजनिक जोहड़ का नियम विरूद्ध जारी किया गया है। निगरानीकर्ता के अधिवक्ता के द्वारा दौरान बहस यह कहा गया कि आबादी का नक्शा राजस्व न्यायालय से प्राप्त किया गया उसमें कहीं भी जोहड दर्ज नहीं है एवं आगे बताया की अप्रार्थीगण के द्वारा भी कोई भूमि सम्बन्धि दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे इस भूमि को जोहड़ पायतन साबित कर सकें। अधिवक्ता निगरानीकर्ता के इस तर्क से हम सहमत है कि अप्रार्थीगण के द्वारा जब उक्त भूमि के जोहड़ पायतन होने से संबंधित कोई राजस्व सम्बन्धित दस्तावेज ही प्रस्तुत नहीं किया तो केवल मौका निरीक्षण के आधार पर भूमि की किस्म को जोहड पायतन माना जाना विधि सम्मत नहीं है। अतः बिना भूमि सम्बन्धि दस्तावेजी साक्ष्य के जोहड़ पायतन मानकर के निगरानीकार का पटटा खारिज करने का आदेश निरस्त किया जाता है और निगरानी स्वीकार की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2020 को टंकित करवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया। शामिल पत्रावली रहें। निर्णय की प्रति पंचायत समिति को पालनार्थ प्रेषित कि जावे।

5/2/2020

(नारायण सिंह चारण)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official